

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारॉकत प्रश्न ँ :4228
13 f , 2019 प्रश् त

फिजियोथैरेपी परिषद का गठन

4228. . संजीव कुमार शिंगरो:

- क स्वास्थ्य और परिवार कल्या ं त्र ा ं f
- () क्या सरकार भारत म फिजियोथैरेपी ि ि
- प्रि ;
- () f , तो ऐसे प्रस्तावां को स्थिति क्या है;
- () यदि नहीं, f ि क्ष फिजियोथैरेपी प्रैक्टि ि
- f ि द् ः
- () क्या फिजियोथैरेपी स्नातक अपनी नाम पट्टिका म अपने नाम से पूव उपसग
- ;
- () f , ं उपयोग करने के लिए मापदण्ड/शत क्या ?

त

ः स्थ्य और परिवार कल्या ं त्रि (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- () (): ः स्थ्य त वसार्थियां के लिए कोई कद्रीय नियामक निकाय न होने पर इस मंत्रालय ने अनुषंगी ः स्थ्य परिचया व्यवसार्थियां को

एक कद्रीय परिषद का गठन करने का पहल का है और दिनांक 31.12.2018
 ज सभा म एक एलाइड एण्ड ल केयर प्रोफेशंस बिल, 2018 प्रस्तु ि
 ि (ि) फिजियोथैरेपिस्ट सहित 50 से अधिक अनुषंगी
 स स्थय परिचया व्यवसायां के लिए कद्रीय एवं समान स्तरोय राज्य ि ि
 गठन के जरिये शिक्षा एवं परिपार्टियां के मानकां के क्ष

(): केवल कुछेक राज्यां जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, छ प्र , हिमाचल प्रदेश आदि म
 स स्थय परिचया व्य ि (ि ण
 ि / -ि ि त परिषद) के विनियमन के लिए सांविधिक तंत्र है।

() (): ि ि ि न वैकल्पिक दवाओं के प्रभाव/गुणा ि
 करने तथा इन पर सरकार को अपनी सिफारिश भेजने के लिए कद्र सरकार ने
 य चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का अध्यक्षता म एक स्था
 विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने दिए गए विषय पर विभिन्न
 सिफारिश का थीं तथा यह भी सुझाव दिया था कि " क " ढ प्र
 सरकार द्वारा मान्य प्र ष औषधियां को पद्धति का उन्नय
 ः थियां द्वारा हो किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वी
 ि कायकारो ि 25 ,
 2003 को जारी किया : क प्र ि
 औषधियां को एलोपैथक पद्धति, दंत चिकित्सा न -प्राप्त ि र्द्धि
 ः थियां द्वारा किया जा सकता है।
